माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act. No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

उपाधि / क्र. /569/ 2020

भोपाल, दिनांक 9 / 9 / 20

अधिसूचना

उपाधि / पत्रोपाधि में त्रुटि सुधार हेतु

विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक विभागों (UTD) तथा अध्ययन संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि छात्र उपाधि / पत्रोपाधि फार्म को ऑनलाइन अपलोड करने से पूर्व यह सुनिश्चत करें कि वांछित सभी प्रविष्ठियां सही एवं पूर्ण रुप से भरी गई है। छात्रों के उपाधि में नाम परिवर्तन / वर्तनी में सुधार के संशोधित नियम अधिसूचित किए जा रहे है।

यदि उपाधि / पत्रोपाधि फार्म की प्रविष्ठि में छात्र अंग्रेजी या हिन्दी नाम, सरनेम की वर्तनी (Spelling), सत्र या नामांकन क्र. में त्रुटि हो जाती है तो त्रुटि सुधार के लिए निम्नलिखित शुल्क एवं दस्तावेज के साथ आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है।

- उपाधि में संशोधन हेतु शुल्क रु. 500 / – प्रति उपाधि / पत्रोंपाधि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देय होगा। उक्त डी डी रजिस्ट्रार MCNUJC, Payable at Bhopal के नाम से होगा।
- डी.सी.ए., पी.जी.डी.सी.ए., स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की उपाधि / पत्रोंपाधि में त्रुटि सुधार हेतु समेकित अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति तथा मूल उपाधि / पत्रोंपाधि जिसमें संशोधन चाहा गया है, जमा करनी होगी।
- उपाधि पर मुद्रित मैटर विद्यार्थी की समेकित अंकसूची पर आधारित होता है अतः

  (अ) हिन्दी नाम के अतिरिक्त उपाधि में कोई भी संशोधन चाहा गया है तो उसका वांछित प्रपत्र समेकित अंकसूची की सत्यापित प्रति होगी, तदानुसार ही संशोधन किया जाएगा। यदि अंकसूची में भी त्रुटि है तो पहले उसे अधिसूचना नामांकन / 2020 / क्र. / 41 दिनांक 07 / 01 / 2020 के अनुसार संशोधित करवाना होगा, तदुपरांत अंकसूची के आधार प्रक्रियानुसार उपाधि में संशोधन होगा।

  (ब) हिन्दी नाम संशोधन हेतु मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या मूल शपथ पत्र की सत्यापित प्रति जिस पर चाहा गया हिन्दी नाम अंकित ही मान्य किया जायेगा।
- छात्र के नाम में परिवर्तन तभी किया जाएगा जब अन्य प्रविष्टियों जैसे कि माता / पिता का नाम, जन्म तिथि, फोटो इत्यादि का मिलान हो।

बी-38, विकास भवन, प्रेस कॉम्प्लेक्स, एम.पी. नगर, जोन-1, भोपाल-462011 (म.प्र.) फोन : (0755) 2551642, फैक्स : (0755) 2551641
B-38, Vikas Bhawan, Press Complex, M.P. Nagar, Zone-1, Bhopal - 462011 (M.P.), Phone : (0755) 2551642, Fax : (0755) 2551641
Websites - www.mcu.ac.in, www.mcnujc.ac.in

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act. No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

- वांछित संशोधन हेतु पूर्व में जारी मूल उपाधि जमा करना अनिवार्य है।
- संशोधन शुल्क डेटाबेस संशोधन हेतु है अतः उपाधि प्राप्त व अप्राप्त दोनो दशाओं में देय होगा।
- संशोधन प्रक्रिया के आवेदन व शुल्क नामांकन शाखा में जमा होंगे।

(प्रो. डॉ. अविनाश वाजपेयी)
कुलसचिव

प. क्र. 570/उपाधि/2020 भोपाल, दिनांक 9/9/20

प्रतिलिपिः

1. निदेशक, ए.एस.आई. मा.च.रा.प.सं.वि.वि. को सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ।
3. समस्त परिसर को सूचनार्थ।
4. सहायक कुलसचिव (नामांकन) को सूचनार्थ।
5. प्रभारी वेबसाइट को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।
6. माननीय कुलपति, कुलाधिसचिव एवं कुलसचिव के निज सहायक को सूचनार्थ।
7. समस्त सम्बद्ध अध्ययन संस्थाओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(प्रो. डॉ. अविनाश वाजपेयी)
कुलसचिव